फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FD) शाहपुरा जयपुर

शंकर बनाम बद्री

मुकदमा संख्या /वर्ष 96/2022 : दावा - 53,188 RTA/20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	5/3/24	उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली मत आदेशानुसार दि. 7/3/24 को पेश हो। (रीडर)	
	7/3/24	वकील वादी उप०। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। अत: दावा कुर्रेजात अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शा० पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कम हो। साथ ही प्रा०पत्र सं. 72/2022 में न्यायालय आदेश दिनांक 5/2/24 के द्वारा प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई/कन्फर्म किया गया था। मूलवाद अन्तिम डिक्री होने से फैसल हो चुका है अत: न्यायालय आदेश प्रा०पत्र सं. 72/2022 में दिनांक 5/2/2024 को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

<u>न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण</u>

सीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
संख्या :– 96 / 2022

शीर्षक

. शंकर पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
– वादी

बनाम

बद्रीप्रसाद पुत्र नन्छू राम
अशोक पुत्र बद्रीप्रसाद नाबालिग जरिये संरक्षक पिता बद्रीप्रसाद
पिंकी पुत्री बद्रीप्रसाद
बनवारी पुत्र नन्छु
श्रवणी पत्नी मालीराम
समस्त जाति अहीर निवासी बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये प्रबंधक शाखा खेजरोली तहसील चौमू जिला जयपुर।
प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 आर.टी.ए.</u>

निर्णय दिनांक 7/3/24

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1290 / 0.33, 1292 / 0.15, 1294 / 0.23 कुल ा 3 रकबा 0.71 है0, खसरा नंबर 1295 / 0.22 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम न्दपुर , पटवारा हल्का बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी को वादी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर े अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। खातेदार प्रभाती फौत हो गई है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 यत 3 है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। किन्तु अब वादीगण सं0 1 लगायत 5 के मन में दुर्भावना आ गई है और उन्होंने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज ठन बना लिया है तथा वे वादी को उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग है। उक्त आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही उक्त आराजीयात् के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा ने पर आमादा है तथा आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है . सका उनको कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है।

यह कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की मे पर आये और तथा वादी को उनके हिस्स में काश्त करने से मना किया तथा लडाई झगडा करने पर मादा हो गये। वादी ने कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर र्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि और कहा क अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना टवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है जिस पर

सहायक कलेक्टर

ादीगण ने ऐलानिया कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ ाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल देगे तथा अबकी बार तुझे फसल काश्त नही करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है ा सहखातेदारी में नही रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा करवाये विशिष्ट भू–भाग बेचने पर दा है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त देत भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये।

यह कि वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती सम्पति मुतनाजा है आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नही हुआ है लेकिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बिना बंटवारा ा ही उसके उपजाऊ विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है तथा वादी के ा की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यह कि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबो में सफल हो और वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नही ढ़ेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। इसलिए उक्त वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1290/0.33, 1292/0.15, 1294/0.23 कुल ा 3 रकबा 0.71 है0, खसरा नंबर 1295/0.22 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम न्दपुर , पटवारा हल्का बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य ा नरस व राजस्व नियमावली के अनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल ाद करवाया जावे तथा वादी को उनके हिस्से में आई भूमि का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान का रण किया जावे तथा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा लअन्दाजी पैदा नही करे वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व जबरन ताकत के बल बेदखल नही करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। बाद तामील वादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर अधिवक्ता श्री राजेन्द्र यादव ने दिनांक 18.01.2023 को अण्डरटेकिंग प्रकरण में दिनांक 05.02.2024 को वकील वादी ने निवेदन किया कि आदिनांक तक प्रतिवादीगण और के अधिवक्ता ने ना तो वकालतनामा पेश किया और ना ही जवाब दावा पेश किया और आज दिनांक को ावादीगण और उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ई जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के आदेश फरमाये जावें। वकील वादी को सुना गया तथा पत्रावली का लोकन किया गया। वकील वादी की दलील से सहमत है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध के एकपक्षीय ार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को दिनांक 05.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार ाहपुरा को बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/1201 दिनांक 27.02.2024 द्वारा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद–पत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का न्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम बिलान्दपुर , पटवारा हल्का बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला के हाल आराजी खसरा नंबर 1290/0.33, 1292/0.15, 1294/0.23 कुल किता 3 रकबा 0.71 है0, नंबर 1295/0.22 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर ुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

शंकर पुत्र रामलाल जाति अहीर राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा खेजरोली खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1292 रकबा 0.15 है0, 1294 रकबा 0.23 है0, 1295 रकबा 0.22 है0, 1290 रकबा 0.02 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि रहेगी।

प्रभाती देवी पत्नि बद्रीप्रसाद हि0 8/31 , बनवारी पि0 नन्छु हि0 11/31 राहिन एस.बी.आई. शाखा खेजरोली, श्रवणी पत्नि मालीराम हि0 12/31 कौम अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1290/2 रकबा 0.31 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी ज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं न्दाजी पैदा नही करें। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 7/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 6

न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

सीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
संख्या :– 96 / 2022

शीर्षक

1. शंकर पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
– वादी

बनाम

. बद्रीप्रसाद पुत्र नन्छू राम
. अशोक पुत्र बद्रीप्रसाद नाबालिग जरिये संरक्षक पिता बद्रीप्रसाद
. पिंकी पुत्री बद्रीप्रसाद
. बनवारी पुत्र नन्छु
. श्रवणी पत्नी मालीराम
समस्त जाति अहीर निवासी बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये प्रबंधक शाखा खेजरोली तहसील चौमू जिला जयपुर।
. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0।
– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 7/3/2024

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का दावा तम डिक्री किया जाता है कि ग्राम बिलान्दपुर , पटवारा हल्का बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल आराजी खसरा नंबर 1290/0.33, 1292/0.15, 1294/0.23 कुल किता 3 रकबा 0.71 है0, खसरा र 1295/0.22 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. शंकर पुत्र रामलाल जाति अहीर राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा खेजरोली खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1292 रकबा 0.15 है0, 1294 रकबा 0.23 है0, 1295 रकबा 0.22 है0, 1290 रकबा 0.02 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि रहेगी।
2. प्रभाती देवी पत्नि बद्रीप्रसाद हि0 8/31 , बनवारी पि0 नन्छु हि0 11/31 राहिन एस.बी.आई. शाखा खेजरोली, श्रवणी पत्नि मालीराम हि0 12/31 कौम अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1290/2 रकबा 0.31 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार जस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी षेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं खलन्दाजी पैदा नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 7/3/2024... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.